

सॉंची

पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद
वितरक चयन हेतु आवेदन
प्रपत्र वर्ष 2026—29

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद, वितरक चयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल की एक ईकाई हैं जो साँची ब्राण्ड नाम से पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय करता हैं। दुग्ध संघ अपने कार्यक्षेत्र में साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय हेतु उज्जैन शहर के मार्ग क्रमांक 12 पर वितरक नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता हैं।

वितरक कार्य हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी व्यक्ति/संस्था/फर्म जिनके पास मजबूत रिटेल नेटवर्क उपलब्ध हो अथवा बनाने की क्षमता रखते हों आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्रपत्र वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड या उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय से रु. 500/-के भुगतान पर क्रय कर पूर्णतः भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत उज्जैन दुग्ध संघ की ई-मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अपलोड कर अथवा दुग्ध संघ कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं। वेबसाइट से आवेदन फार्म प्राप्त किए जाने पर रु. 500/-का ऑनलाईन भुगतान कर रसीद अपलोड की जावे। वितरक चयन प्रक्रिया का शैड्यूल निम्नानुसार हैं :-

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 20.08.2026 से रु.500/-के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 27.08.2026 तक समय दोपहर 12:00 बजे तक दुग्ध संघ की ई-मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अथवा भौतिक रूप से उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें।
3.	आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 27.08.2026 समय अपरान्ह 02:00 बजे उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन कार्यालय
4.	गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परिक्षण एवं मूल्यांकन	दिनांक 31.08.2026 से दिनांक 03.09.2026 तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन कार्यालय
5.	चयनित वितरक/वितरकों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 17.08.2026 को विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन

प्रत्येक आवेदन प्रपत्र के साथ राशि रु. 10000/- की ऑनलाईन ई.एम.डी. जमा कर रसीद अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य हैं जिसके बिना आवेदन स्वतः अमान्य होंगे। अधिक जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। यदि आवेदन प्रपत्र/प्रक्रिया में कोई सुधार/संशोधन किया जाता हैं तो यह केवल वेबसाइट www.sanchidairy.com पर ही प्रकाशित होगा, किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र भरने के लिए ध्यान रखने योग्य तथ्य:—

1. संपूर्ण आवेदन सभी प्रपत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय पर दुग्ध संघ की ई-मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अपलोड अथवा भौतिक रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें।
2. ईएमडी राशि रु. 10,000/— ऑनलाईन दुग्ध संघ के निम्न खाते में जमा कर रसीद अपलोड करें। भौतिक रूप से आवेदन जमा करने पर ई.एम.डी. जमा की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करें। वेबसाइट से आवेदन से आवेदन फार्म प्राप्त करने की दशा में आवेदन फार्म का मूल्य रु 500/— का भुगतान भी ऑनलाईन जमा कर रसीद आवेदन फार्म के साथ अपलोड करें। बिना ईएमडी आवेदन स्वतः अमान्य होंगे।

खाता धारक का नाम	>	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
बैंक का नाम एवं शाखा	>	एच.डी.एफ.सी. बैंक, तीन बत्ती चौराहा, देवास रोड़, उज्जैन म.प्र.
खाता क्रमांक	>	09081450000164
IFSC Code	>	HDFC0000908

साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

1. चयन प्रक्रिया—

- कोई भी ऐसे व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्रस्तुत ना करें जिनके रिकॉर्ड पूर्व में दुग्ध संघ के साथ कार्य करते समय खराब रहे हैं अथवा उनके कार्य संतोषप्रद नहीं रहे हैं। यदि प्रस्तुत आवेदनों में से ऐसा पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा ऐसे आवेदन बिना किसी अग्रिम कार्यवाही के अमान्य किए जाएंगे।
- पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु किसी भी मार्ग हेतु एक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएँ) परीक्षणोपरांत उपयुक्त पाये जाने एवं न्यूनतम 40 अंक प्राप्त किए जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा।
- किसी भी मार्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरांत पात्र आवेदनकर्ताओं में से अधिकतम अंक प्राप्तकर्ता का चयन किया जाएगा।
- दो या दो से अधिक आवेदनकर्ता द्वारा एक समान अंक प्राप्त होने पर वितरक का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

2. प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि—

चयनित आवेदनकर्ता को प्रपत्र क्रमांक 05 में दी गई तालिका अनुसार निर्धारित प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि RTGS, NEFT के माध्यम से अथवा डिमांड ड्राफ्ट पेयबल एट "उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय एवं पेयबल एट उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर विक्रय में वृद्धि होने की दशा में प्रतिभूति राशि में बढ़ोत्तरी करने का अधिकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पास होगा जिसे वितरक को जमा करना अनिवार्य होगा।

3. चयनित आवेदनकर्ता (वितरक) का आवेदन नियमानुसार स्वीकृत होने के उपरांत पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद कार्य हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करेंगे व आवश्यक दस्तावेज, प्रतिभूति राशि, फूड लायसेंस/रजिस्ट्रेशन/जीएसटी नम्बर तथा अनुबंध का निष्पादन रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर दो जमानतदार के आधार कार्ड, फोटो सहित जमा करेंगे। अन्यथा निर्धारित समय 10 दिवस में औपचारिकताएँ पूरी न करने की दशा में चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
4. चयनित आवेदनकर्ता को वितरक कार्य प्रारंभ होने पर पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग दुग्ध संघ द्वारा सूचित समय तक ईआरपी एप के माध्यम से ऑनलाईन देना होगा। दूरभाष पर एवं तय समय के उपरांत मांग स्वीकार नहीं होगी।
5. चयनित आवेदनकर्ता को प्रतिदिन उनकी मांग के अनुसार दुग्ध संघ के अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरित करना होगा। अतः मांग अनुसार सामग्री की जांच, परख व गिनती वितरक अच्छे से करें, खाली क्रेट प्रतिदिन वापस करें तथा लेखा-जोखा संधारित करना अनिवार्य होगा।

6. चयनित आवेदनकर्ता उनके अधीनस्थ दूध विक्रय एजेंटों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित विक्रेता दरों (Retailer Rates) पर ही सामग्री विक्रय करेंगे।
7. चयनित आवेदनकर्ता का वितरक कार्य प्रारंभ होने पर प्रतिदिन प्रदायित सामग्री की अग्रिम राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा राशि जमा न करने की दशा में माल की प्रदायगी नहीं की जावेगी। रिटेलर/संस्थाओं/उपभोक्ताओं/दुग्ध उत्पादकों एवं दुग्ध संघ के हितों के दृष्टिगत ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिसमें होने वाले समस्त व्यय वितरक से वसूल किये जायेंगे तथा आवश्यक होने पर वितरक कार्य समाप्त कर काली सूची में डाला जाएगा।
8. **वितरक की अनुबंध अवधि—**
वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में आपसी सहमति से एक-एक वर्ष कर अनुबंध अवधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सफल आवेदनकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत 15 दिवस की अवधि में वितरक कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा स्वीकृत कार्य निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
10. वितरक को दुग्ध संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिए जाएंगे। जिसे प्राप्त करना वितरक को अनिवार्य होगा। प्रत्येक तीन माह में लक्ष्यों की समीक्षा की जावेगी। लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त न होने एवं वितरक कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में एक माह का नोटिस देकर वितरक कार्य निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
11. वितरक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के किसी भी पार्लर संचालक/एजेंसी/विक्रेताओं से सुरक्षा निधि, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाएंगे।
12. वितरक दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से अभद्रता/अनुशासनहीनता नहीं करेंगे अन्यथा उनका वितरक कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
13. वितरक प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय/वितरण नहीं करेंगे अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाये जाने पर वितरक कार्य निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। यदि एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा साँची ब्राण्ड उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं रखने वाले दुग्ध उत्पाद, अन्य उत्पाद विक्रय हेतु निर्देश अनुमति दी जाती है तो केवल ऐसे उत्पाद साँची के अतिरिक्त विक्रय किए जा सकेंगे।

14. वितरक अपने स्तर से भी दूध विक्रय एजेंट तैयार करेंगे एवं उक्त विक्रय एजेंट को दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रजिस्टर्ड कराएंगे।
15. वितरक अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे अन्यथा कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
16. आवेदनकर्ता पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद कार्य हेतु स्थानीय परिवहन दर/वितरक मार्जिन/विक्रेता मार्जिन एवं आवेदन भरने से संबंधित जानकारी तथा वितरक कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालयीन दिवस में उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
17. उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गों हेतु कार्यरत दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरकों के अतिरिक्त पृथक से दुग्ध उत्पाद वितरक नियुक्त करने हेतु का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जिस पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरकों की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
18. वितरक द्वारा अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत कार्य छोड़ने की दशा में आवंटित मार्ग में स्थापित समस्त साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रेताओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर दुग्ध संघ में जमा करवाने के पश्चात् ही दुग्ध संघ में जमा अमानत राशि वापसी योग्य होगी।
19. सफल आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में बैंक विवरण की दी गई जानकारी अनुसार चालू खाते के 05 हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थिति में दुग्ध संघ को वितरक से किसी भी मद में बकाया राशि/क्रेट लेना शेष होने पर उक्त धनादेश (चेक) के माध्यम से वसूली की जाएगी। यदि अनुबंध अवधि में वितरक द्वारा व्यवसाय हेतु बैंक परिवर्तित किया जाता है तो इसकी जानकारी वितरक द्वारा दुग्ध संघ को 01 माह पूर्व लिखित में देनी होगी तथा सुरक्षा निधि हेतु रखे गए चैक भी तदनुसार कार्यालय में जमा करने होंगे।
20. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा।
21. सफल आवेदनकर्ता को अपने स्वयं के/फर्म के नाम से चालू खाते से विक्रय की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
22. आवेदनकर्ता को संयुक्त रूप से निम्न विषयों का रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र तैयार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :-
 - आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बुंदेलखण्ड, जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंध संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है और न ही वह आश्रित परिवार के सदस्य हैं।

- आवेदनकर्ता को एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा अथवा किसी भी अन्य शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी टर्मीनेट/ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।
- आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय, पुलिस थाना में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
- उपरोक्तानुसार शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 03 पर संलग्न है। इसी के अनुरूप अवलोकन कर शपथ पत्र संलग्न करें।

23. वितरक कार्य हेतु चयन होने पर आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र अनुसार दुग्ध संघ से रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध की शर्तों का प्रारूप प्रपत्र क्र. 06 पर संलग्न है।

घोषणा—

मेरे/हमारे द्वारा वितरक कार्य हेतु आवश्यक सभी नियम शर्तों तथा पूर्ण आवेदन प्रपत्र को भलीभांति पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य है। मेरे/हमारे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र. 456010

स्व हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

आवेदन फॉर्म (APPLICATION FORM)

1. आवेदनकर्ता का नाम
2. कम्पनी / फर्म / पार्टनरशिप / एकल स्वामित्व
3. होने की दशा में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें
4. पिता / पति का नाम
5. पता
6. फोन नं / मो. नं.
7. ई-मेल (अनिवार्य रूप से अंकित करें।)
8. वर्तमान व्यवसाय (यदि हो तो)
9. वर्तमान व्यवसाय का प्रकार
10. वर्तमान व्यवसाय / कार्यालय का पता
11. (a) पेन नंबर
- (b) जीएसटी नं.
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में कार्य प्रारंभ से 15 दिवस की अवधि में जमा करें।)
- (c) आधार कार्ड नंबर (छायाप्रति संलग्न करें।)
12. FSSAI का होल सेलर लायसेंस (छायाप्रति संलग्न करें।)
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में इस हेतु किये गये आवेदन की प्रति संलग्न करें।)
13. Gumasta / व्यवसायिक पंजीयन का प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न करें।)
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में इस हेतु किये गये आवेदन की प्रति संलग्न करें।)
14. वित्तीय वर्ष एवं के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ...
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में इस हेतु छूट रहेगी।)
15. व्यवसाय हेतु बैंक का विवरण :-
 - चालू खाता क्रमांक
 - बैंक का नाम
 - खाता धारक का नाम
 - बैंक शाखा
 - बैंक द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर संलग्न करें
 - उपरोक्त संबंधित बैंक खाते का 01 केन्सिल चैक संलग्न करें

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

(शपथ पत्र रु. 500 /— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हमनिवासी.....उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उज्जैन शहर के मार्ग क्रमांक 12 हेतु पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद के वितरक कार्य के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि :-

1. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे/हमें कभी भी एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ तथा अन्य शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा टर्मीनेट/ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
3. मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही करेगा मैं/हम उसे मानने को बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

दिनांक—

हस्ताक्षर

नाम:—

पता:—

.....

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.
सांची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु आवेदन के लिए मार्ग की सूची
एवं प्रतिभूति राशि की जानकारी

1. वर्तमान विक्रय केन्द्र, वर्तमान विक्रय मात्रा आदि की जानकारी

मार्ग का नाम	
शहर/टाउन का नाम	
अपेक्षित विक्रय मात्रा लीटर/कि.ग्रा. प्रतिदिन	
आवश्यक प्रतिभूति राशि रु	प्रपत्र 2 (Weightage List) के सरल क्रमांक-12 में भरे विकल्प अनुसार

वर्तमान विक्रय केन्द्रों की जानकारी :-नये विक्रय केन्द्र बनाने हैं।

उज्जैन शहर		मार्ग क्र. 12 हाटकेश्वर कॉलोनी से काल भैरव मंदिर					
क्र.	क्षेत्र	पार्लर / एजेंसी का नाम	पता	लेटिड्यूट	लॉगिड्यूट	दूध विक्रय ली. /दिन	प्रोडक्ट विक्रय राशि प्रतिदिन
1	हाटकेश्वर कॉलोनी की ओर	गिरधारी किराना	हाटकेश्वर कॉलोनी	23.786752	75.788292	36	1000
		सावरीया हाटकेश्वर	हाटकेश्वर कॉलोनी	23.173322	75.784852	120	2500
		जस मा अग्गे किराना	हाटकेश्वर कॉलोनी	23.7554458	75.76918	72	0
		मा कालिका दूध डेयरी	हाटकेश्वर कॉलोनी	23.173208	75.772972	24	0
		महादेव किराना	हाटकेश्वर कॉलोनी	23.173248	75.782862	48	1000
2	चिंतामण	चिंतामण मंदिर परिसर पार्लर	चिंतामण	23.17587516	75.562151	24	2500
		अजय शर्मा एजेंसी	चिंतामण	23.158578	75.562352	500	2000
3	जवासिया	जवासिया एजेंसी	जवासिया	23.175822	75.625267	24	0
4	जंतर-मंतर	जंतर-मंतर पार्लर	जंतर-मंतर	23.171669	75.766007	0	2000
5	हरिफाटक ब्रिज	बमशिव पार्लर	हरिफाटक ब्रिज	23.174526	75.231556	12	1000
		सावरीया सेठ एजेंसी	हरिफाटक ब्रिज	23.171823	75.77274	120	2500
6	मूलापुरा	कक्का जी एजेंसी	मूलापुरा	23.11037	75.4587238	156	0
7	गढकालिका मंदिर	गढकालिका पार्लर	गढकालिका मंदिर	23.207946	75.770155	24	4000
8	सांदीपनी मंदिर	सांदीपनी मंदिर पार्लर	सांदीपनी मंदिर	23.211162	75.782618	24	4000
9	मंगलनाथ	मंगलनाथ पार्लर	मंगलनाथ मंदिर	23.222157	75.786362	24	3000
10	सिद्धवट मार्ग	सिद्धवट एजेंसी	सिद्धवट मंदिर	23.224158	75.776924	48	1000
11	भैरवगढ़	श्री कालभैरव साँची पार्लर	भैरवगढ़	23.222178	75.773945	50	3000
		चावडा किराना	भैरवगढ़	23.224768	75.774961	120	0
		कृष्णा किराना	भैरवगढ़	23.222178	75.774945	24	0
		केन्द्रीय जेल	भैरवगढ़	23.220944	75.773163	150	0
		उन्हेल चौराहा एजेंसी	भैरवगढ़	23.230292	75.772759	150	2000
12	काल भैरव	काल भैरव साँची पार्लर	काल भैरव मंदिर	23.218392	75.768155	12	3000
एक दिवस के दूध एवं दुग्ध उत्पाद की विक्रय राशि						50,000	
तीन दिवस के दूध एवं दुग्ध उत्पाद की विक्रय राशि						1,50,000	

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

Weightage List

आवेदक का नाम

आवेदित मार्ग – मार्ग क्रमांक 12

क्र.	विवरण	जानकारी	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	अंक देने का तरीका	प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज जो संलग्न करना है।														
1	2	3	4	5	6	7														
1	वर्तमान दूध विक्रय केन्द्र (विवरण प्रपत्र 05 पर)		10		2 केन्द्र = 1 अंक (अधिकतम 10 अंक)	आवेदन आमंत्रित होने से 01 माह पूर्व किसी भी एक दिवस के रिटेलरों को प्रदाय देयक की छायाप्रति														
2	वर्तमान दूध विक्रय LPD		5		1000 LPD विक्रय = 01 अंक (अधिकतम 5 अंक)	आवेदन आमंत्रित होने से 01 माह पूर्व किसी भी एक दिवस के संबंधित संस्था द्वारा जारी देयक की छायाप्रति														
3	वर्तमान दुग्ध उत्पाद विक्रय केन्द्रों की संख्या (विवरण प्रपत्र 05 पर)		10		2 केन्द्र = 1 अंक (अधिकतम 10 अंक)	आवेदन आमंत्रित होने से 01 माह पूर्व किसी भी एक दिवस के रिटेलरों को प्रदाय देयक की छायाप्रति														
4	वर्तमान दुग्ध उत्पाद विक्रय लीटर/ कि.ग्रा. प्रतिदिन		5		500 KG/Ltr हेतु 01 अंक (अधिकतम 5 अंक)	आवेदन आमंत्रित होने से 01 माह पूर्व किसी भी एक दिवस के संबंधित संस्था द्वारा जारी देयक की छायाप्रति														
5	वर्तमान घी विक्रय केन्द्रों की संख्या (विवरण प्रपत्र 05 पर)		10		प्रति 5 केन्द्र पर 1 अंक (अधिकतम 10 अंक)	आवेदन आमंत्रित होने से 01 माह पूर्व किसी भी एक दिवस के रिटेलरों को प्रदाय देयक की छायाप्रति														
6	वर्तमान घी विक्रय मात्रा लीटर/कि.ग्रा. प्रतिदिन		5		500 Kg/Ltr /day विक्रय हेतु 01 अंक (अधिकतम 5 अंक)	आवेदन आमंत्रित होने से 01 माह पूर्व किसी भी एक दिवस के संबंधित संस्था द्वारा जारी देयक की छायाप्रति														
7	वितरक कार्य का अनुभव (वर्षों में)		10		1 वर्ष अनुभव हेतु 2 अंक (अधिकतम 10 अंक)	संबंधित संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र														
8	होल सेल VS रिटेल व्यापार का अनुपात (30 प्रतिशत से कम)		5		<table><tr><th>अनुपात %</th><th>अंक</th></tr><tr><td>1—6</td><td>5</td></tr><tr><td>7—12</td><td>4</td></tr><tr><td>13—18</td><td>3</td></tr><tr><td>19—24</td><td>2</td></tr><tr><td>25—30</td><td>1</td></tr><tr><td>30 से ज़्यादा</td><td>0</td></tr></table>	अनुपात %	अंक	1—6	5	7—12	4	13—18	3	19—24	2	25—30	1	30 से ज़्यादा	0	किसी भी एक दिवस की पूरे कार्यक्षेत्र/मार्ग की वितरण शीट /विवरण
अनुपात %	अंक																			
1—6	5																			
7—12	4																			
13—18	3																			
19—24	2																			
25—30	1																			
30 से ज़्यादा	0																			
9	व्यवसाय स्थल/कार्यालय/गोडाउन/कोल्ड		15		—	दुग्ध संघ की समिति सदस्यों द्वारा भौतिक														

	स्टोरेज / डीप फ्रीजर आदि					निरीक्षण
10	ERP हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामान		5		—	समिति सदस्यों द्वारा भौतिक निरीक्षण
11	Man Power		15		प्रति 1 मेन पॉवर पर 3 अंक (अधिकतम 15 अंक)	मेन पॉवर के आधार की छायाप्रति सहित आवेदक द्वारा अंडरटेकिंग
12	वित्तीय एवं निवेश की क्षमता		20		3/5/7 दिवस की विक्रय मात्रा के समतुल्य धनराशि बतौर सुरक्षा निधि जमा करने पर क्रमशः 10/15/20 अंक	आवेदक कितने दिवस की धनराशि बतौर सुरक्षा निधि जमा करना चाहता है। उल्लेख करें।
13	आवेदित मार्ग में आवेदनकर्ता का Involvement/सक्रियता का स्तर		5			दुग्ध संघ की समिति द्वारा मूल्यांकन
14	Influence In Trade (व्यापार में प्रभाव)		10			दुग्ध संघ की समिति द्वारा मूल्यांकन
	अधिकतम अंक		100			

कॉलम नम्बर 03 में आवेदक द्वारा आवश्यक जानकारी अनिवार्यतः भरी जावे।

महत्वपूर्ण नोट—

पैकेट दूध वितरक हेतु आवेदन करने पर तालिका के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के कुल 15 अंक
अथवा
दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु आवेदन करने पर तालिका के सरल क्रमांक 3 एवं 4 के कुल 15 अंक
अथवा

घी वितरक हेतु आवेदन करने पर तालिका के सरल क्रमांक 5 एवं 6 के कुल 15 अंक
एवं
तालिका के सरल क्रमांक 7 से 14 के कुल 85 अंक

इस प्रकार मूल्यांकन के समय अधिकतम कुल 100 अंक में से पात्रता अनुसार गठित समिति द्वारा अंक दिए जाएंगे।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

अनुबंध का प्रारूप

साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र., जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स द्वारा श्रीसे बतौर साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक 12 के लिए दिनांक..... से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक कार्य संपादित करेंगे।

1. इस कार्य हेतु दुग्ध संघ द्वारा वितरक को रु प्रति लीटर अथवा पृथक से सूचित दर संरचना अनुसार मार्जिन दिया जाएगा। मार्जिन में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा। इस बाबत दुग्ध संघ द्वारा लिए गए निर्णय को वितरक द्वारा अनिवार्यतः मान्य किया जाएगा।
2. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। यदि साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
3. वितरक को रु बतौर प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि दुग्ध संघ खाते में निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि केवल वितरक कार्य हेतु जमा होगी। जमा प्रतिभूति राशि के विरुद्ध साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी नहीं की जाएगी। प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि भी प्रतिदिन दुग्ध संघ में अग्रिम रूप से जमा करना होगी।
4. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति/सुरक्षा निधि वितरक कार्य अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
5. वितरक को दुग्ध संघ द्वारा चाही गई प्रतिभूति/सुरक्षा निधि समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	क्षेत्र का नाम	औसत विक्रय मात्रा ली./दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि रूपये (निर्धारित औसत विक्रय दिवस के विक्रय के बराबर)

वितरक को औपचारिताएँ पूर्ण करने हेतु पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ में जमा करना होगा बगैर प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि जमा किये कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि का पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष के बाद किया जावेगा अर्थात् 1 वर्ष

बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि जमा करना आवश्यक होगा।

6. दुग्ध संघ द्वारा वितरक के कार्यों का त्रैमासिक आधार पर Financial Hygiene, Volume growth, Target achievement, Outlet coverage & Expansion, Service factors etc. पर मूल्यांकन किया जाएगा यदि कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ तो एक नोटिस भेजकर कार्य से पृथक किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
7. वितरक को आवंटित क्षेत्र में स्थित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में क्षेत्र/मार्ग के अंतिम विक्रय केन्द्र तक साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपयुक्त परिवहन व्यवस्था से पहुँचाकर प्रदाय करना होगा।
8. वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर डेरी संयंत्र/डेयरी डॉक से मांग अनुसार दुग्ध संघ से अनुबंधित दुग्ध परिवहनकर्ता के माध्यम से विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से दुग्ध वाहन विलंब होने की दशा में अथवा संयंत्र में तकनीकी गड़बड़ी होने की दशा में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
9. वितरक रिटेलर विक्रय केन्द्रों को समय पर मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएंगे/न बढ़ायेगें।
10. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक निर्धारित रिटेलर दर पर ही सामग्री विक्रय एजेन्ट को देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय एजेंटों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की स्थिति में नोटिस देकर वितरक का कार्य समाप्त कर सकेगा व ब्लेक लिस्ट किया जा सकेगा।
11. अनुबंध अवधि में वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके घोषित उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम वितरक से संबंध उम्र पता
.....
12. दुग्ध संघ अनुबंधित परिवहनकर्ता के माध्यम से वितरक को एक स्थान पर साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को पहुँचाकर देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को प्राप्त करना होगा। वितरण स्थल पर वितरक गिनकर, जाँचकर सामग्री लेकर परिवहनकर्ता को प्राप्ति देंगे एवं स्वयं की उपयुक्त परिवहन व्यवस्था से रिटेल एजेंटों को समय अवधि में पहुँचाकर देना होगा।
13. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक, दुग्ध परिवहनकर्ता से प्राप्त क्रेट्स/खाली क्रेट वापसी का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा एवं प्रत्येक 15 दिवस के अंत में परिवहनकर्ता से मिलान करना होगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक से क्रेट्स की बाजार अनुरूप प्रतिक्रेट राशि अनुसार पेनल्टी एवं क्रेट का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स दुग्ध परिवहनकर्ता को प्रतिदिन वापस कराना अनिवार्य होगा।

(अ) शहरी मार्ग क्रमांक 12 के समस्त रिटेलर, टी स्टॉल, केन्टीन, संस्था या अन्य वितरण केन्द्रों से दैनिक आधार पर केन्द्रवार मांग प्राप्त कर एकजाई रूप से मांग ईआरपी के

माध्यम से डेयरी डाक पर देना, मांग अनुसार सामग्री प्राप्त करना, प्राप्त सामग्री को केन्द्रवार समय पर वितरित करना, वितरित सामग्री की प्राप्ति लेना, प्रदाय सामग्री की धनराशि प्राप्त करना, आगामी समय/पाली की मांग डेयरी डाक पर उपलब्ध कराना एवं खाली क्रेट प्राप्त कर वापस अधिकृत परिवहनकर्ता को देना वितरक का दायित्व होगा।

- (ब) उज्जैन शहर के मार्ग क्रमांक 12 हेतु वितरक नियुक्त किया गया है। वितरक को अपने कार्यक्षेत्र के समस्त रिटेलर, टी स्टॉल, केन्टीन, संस्था एवं अन्य वितरण केन्द्रों से दैनिक आधार पर केन्द्रवार मांग प्राप्त कर एकजाई रूप से मांग ईआरपी के माध्यम से डेयरी डाक पर देना, मांग अनुसार परिवहनकर्ता से सामग्री प्राप्त करना, प्राप्त सामग्री को केन्द्रवार समय पर वितरित करना, वितरित सामग्री की धनराशि प्राप्त करना, आगामी समय की मांग प्राप्त करना तथा खाली क्रेट परिवहनकर्ता को सौंपना, सौंपी गयी क्रेटों की प्राप्ति लेकर रिकॉर्ड संधारित रखना वितरक का दायित्व होगा। प्रत्येक 15 दिवस में वितरक द्वारा क्रेटों का मिलान अनिवार्यतः परिवहनकर्ता से करना होगा। कम संख्या में सौंपी गयी क्रेटों की धनराशि दुग्ध संघ द्वारा वितरक से वसूली जायेगी।
14. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
 15. वितरक को निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या प्रतिमाह बढ़ानी होगी। साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर आवंटित विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति करना अनिवार्य है। यह कि प्रत्येक माह के अंत में उभय पक्ष साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद एवं उसकी राशि का हिसाब-किताब का मिलान करेंगे एवं माह की अंतिम तारीख पर जो भी राशि लेना शेष रहती है, वह साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा दुग्ध संघ में जमा करायी जावेगी। वितरक द्वारा मिलान न करने पर दुग्ध संघ अनुसार जो राशि लेना-देना निकलती है, वह मान्य होगी।
 16. वितरक द्वारा अपने क्षेत्र में खोली गई नयी एजेंसी की लिखित सूचना दुग्ध संघ को देना होगी।
 17. वितरक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के किसी भी पार्लर संचालक/एजेंसी/विक्रेताओं से सुरक्षा निधि, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाएंगे।
 18. उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गों हेतु कार्यरत् दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरकों के अतिरिक्त पृथक से दुग्ध उत्पाद वितरक नियुक्त करने हेतु का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जिस पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरकों की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
 19. वितरक द्वारा अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत कार्य छोड़ने की दशा में आवंटित मार्ग में स्थापित समस्त साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रेताओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर दुग्ध संघ में जमा करवाने के पश्चात् ही दुग्ध संघ में जमा अमानत राशि वापसी योग्य होगी।
 20. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को आवंटित क्षेत्र के बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की राशि प्रतिदिन संग्रहण करने का दायित्व वितरक का होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी/अन्य के द्वारा किसी भी भुगतान के लिये दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी द्वारा प्रदायित उत्पाद की राशि न देने पर दूध बंद करने की जानकारी वितरक द्वारा दुग्ध संघ को पूर्व में देना

- होगी। वितरक को विक्रय केन्द्रों द्वारा जमा की जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि की पावती तत्काल विक्रय केन्द्र प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
21. वितरक द्वारा स्थानीय वितरण वाहन में केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवं वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन में किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड रु. 10,000/- का अधिरोपण किया जावेगा एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर वितरक कार्य निरस्त करते हुए उसकी प्रतिभूति/सुरक्षा राशि राजसात कर सकेगा।
 22. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तान्तरित (Sublet) नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक का कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी सुरक्षा निधि (प्रतिभूति राशि) राजसात कर सकेगा।
 23. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर वितरक को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य दिए जायेंगे जिसकी प्राप्ति करना वितरक के लिए बाध्यता होगी। विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर दुग्ध संघ एक माह का अग्रिम नोटिस देकर अनुबंध एवं आवंटित कार्य निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
 24. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को दुग्ध संघ की नीति अनुसार साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक मांग, पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। उक्त पावती दुग्ध संघ द्वारा मागे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि वितरक से वसूल की जावेगी।
 25. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक प्रतिमाह आवश्यकतानुसार क्षेत्र के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगा।
 26. दुग्ध संघ द्वारा साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को समय-समय पर दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही एक नोटिस मात्र देकर की जा सकती है।
 27. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों के साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये वितरक बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के क्षेत्रों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को विभाजित किया जा सकेगा। अनकवर्ड क्षेत्रों में पहुंचने, मार्ग विकसित करने तथा विक्रय वृद्धि हेतु दुग्ध संघ उनके अनुबंध अवधि में मार्ग या कार्यक्षेत्र का पुर्नगठन करने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान मार्ग दूरी एवं विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी जिसे मानने हेतु वितरक बाध्य होंगे।

28. साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक को शासन द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज़ लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
29. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को प्रदाय किये गये सामग्री की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से प्रतिदिन दुग्ध संघ में अनिवार्यतः अग्रिम जमा किया जायेगा अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर कार्य/अनुबंध समाप्त कर प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।
30. दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किसी भी स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी नहीं की जावेगी। अपरिहार्य परिस्थिति में सुरक्षा राशि के विरुद्ध प्रदायगी संबंधी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
31. वितरक के किसी भी चेक के अनादरित होने पर चेक की मूल राशि के साथ-साथ अर्थदण्ड की राशि रु. 1000/- वितरक द्वारा जमा करना सुनिश्चित किया जावेगा। बैंक की तकनीकी कारणों या सर्वर डाउन होने के कारणवश अनादरित हुए चेकों का बैंक द्वारा लेटर हेड पर विवरण उपलब्ध कराने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड नहीं वसूला जावेगा।
32. राशि जमा न होने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा। बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए वितरक द्वारा दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि, बैंक गॉरंटी/संयुक्त नाम फिक्स डिपॉजिट से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
33. वितरक अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक से वसूल की जावेगी।
34. वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
35. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/पत्र/परिपत्र/आदेश एवं सूचनाएँ तथा आवेदन प्रपत्र की समस्त नियम शर्तें भी इस अनुबंध का ही भाग होंगी। जिसका शतप्रतिशत पालन वितरक को करना होगा। वितरक द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार उज्जैन दुग्ध संघ को रहेगा।
36. यह कि श्री/मेसर्सआवंटित क्षेत्र..... में साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के रूप स्थानीय परिवहन दर (यदि दिया जाता है तो) रुपये....एवं वितरक मार्जिन..... पैसे प्रति ली. कुल रु प्रति लीटर पर कार्य करेंगे। जिसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
37. वितरक को आवंटित क्षेत्र में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वितरक को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दरों पर साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद स्वयं की परिवहन व्यवस्था से बूथ/पार्लर/रिटेल एजेंसी को मांग अनुसार पहुँचाकर दिया जाना अनिवार्य होगा, जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
38. वितरक किसी भी ऐसे उत्पाद को नहीं बेचेगा जिसकी वैधता अवधि (Validity Period) समाप्त हो चुकी हो। ऐसा करने का प्रयास करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उसके सभी परिणामों के लिए वितरक जिम्मेदार होगा।
39. वितरक, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद हमेशा मूल पैकिंग और लेबल के साथ बेचेगा। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, मिलावट या पैकेजिंग को तोड़ने/बदलने की अनुमति नहीं है।

40. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को मूल्य में संशोधन करने का अधिकार होगा। मूल्य संशोधन से हुए किसी भी नुकसान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
41. वितरक को सक्रिय बिक्री (Active Selling) करनी होगी, जैसे स्थानीय/क्षेत्रीय मेले, प्रदर्शनियों में भाग लेना और उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना।
42. वितरक या उसके कर्मचारी/एजेंट किसी भी प्रकार की गलत जानकारी ग्राहकों को नहीं देंगे। केवल वही जानकारी देंगे जो दुग्ध संघ द्वारा लिखित रूप से या पैकेजिंग पर उपलब्ध कराई गई हो।
43. वितरक को वही व्यापारिक मार्जिन (Trade Margins) या छूट (Discounts) मिलेंगी जो दुग्ध संघ की बिक्री नीति (Sales Policy) और योजनाओं में समय-समय पर निर्धारित होंगी।
44. वितरक को क्रेट मद में राशि रु (Crates Deposit) बतौर सुरक्षा निधि जमा करनी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि वितरक द्वारा समय पर खाली क्रेट्स दुग्ध संघ में जमा नहीं किए जाते हैं तो कम जमा क्रेट्स की राशि दुग्ध संघ के क्रय मूल्य अनुसार वितरक को दुग्ध संघ में जमा करनी होगी अन्यथा राशि की वसूली वितरक की दुग्ध संघ में जमा क्रेट्स सुरक्षा निधि राशि से की जाएगी।
45. उत्पाद संबंधी ग्राहक शिकायतों का निवारण केवल दुग्ध संघ की शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal Procedure) से होगा। वितरक स्वयं कोई आश्वासन नहीं देगा।
46. सभी आपूर्ति हेतु वितरक को अग्रिम भुगतान करना होगा। उत्पाद का स्वामित्व (Ownership) तब तक दुग्ध संघ के पास रहेगा जब तक पूरी राशि प्राप्त न हो।
47. वितरक, दुग्ध संघ के लेबल, पेटेंट, कॉपीराइट या किसी अन्य बौद्धिक संपत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights) का स्वामी नहीं बनेगा।
48. वितरक दुग्ध संघ के ट्रेडमार्क और संकेतों (Trademarks & Signs) का गलत उपयोग नहीं करेगा।
49. वितरक, गोपनीय जानकारी (Confidential Information) किसी तीसरे पक्ष को साझा नहीं करेगा।
50. यदि वितरक दुग्ध संघ के हितों के विपरीत कार्य करता है तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल प्रभाव से उसका कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही वितरक की लापरवाही के कारण दुग्ध संघ को होने वाले किसी भी नुकसान/न्यायालयीन खर्चों का वहन वितरक को करना होगा। दुग्ध संघ इसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
51. यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के मध्य दिनांक को निष्पादित किया गया है। यह अनुबंध कार्य आरंभ करने की दिनांक से तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तें तथा अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित स्थानीय परिवहन दर एवं वितरक मार्जिन पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। कार्य अवधि बढ़ाये जाने पर उक्त वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तें तथा अनुबंध की समस्त शर्तें आगामी वृद्धित अवधि के लिये भी प्रभावशील मानी जाएंगी।
52. यदि पक्षकारों के बीच इस अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
53. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के मध्य निष्पादित किया गया है, अन्तर्गत विषयों के संबंधित उभयपक्षों के मध्य विवादों के संबंध में संमस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को होगा एवं न्यायालय क्षेत्राधिकार उज्जैन होगा।

54. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
55. अनुबंध में वर्णित किसी भी कंडिका, नियम व शर्त का वितरक द्वारा किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ को होगा।

मैं पिता/पति/पत्नी..... साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक क्षेत्र अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्षों ने स्वेच्छा से दिनांक ----- को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन के निर्देशानुसार साँची पैकेट दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा संतोषप्रद कार्य करने व नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार की वसूली उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि व बैंक गॉरंटी वापस की जा सकेगी। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)
वितरक

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या.उज्जैन

हस्ताक्षर

नाम _____
पता _____

प्रभारी (विपणन)
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या.उज्जैन

गवाह द्वितीय पक्ष

नाम —

पता —

मोबाईल नम्बर

हस्ताक्षर

गवाह प्रथम पक्ष

नाम —

पता —

मोबाईल नम्बर

हस्ताक्षर